


भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs. 20

₹. 20

TWENTY
RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

285A 878446

6. दस्तावेज़ को अपने विषय से लिए गए सांख्यिक चिह्न द्वारा टुट्ट की किसी भी अवधि सम्बंधित या सम्बंधितों को जो उनके स्वच्छिकार में हैं, की विधित करने एवं आवश्यक होने पर टुट्ट को जो भी किसी वस्तु व अप्रति सम्बंधित को कर करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रत्येक यह है कि टुट्ट को अपने सम्बन्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत विद् या बन्-विषय से यदि टुट्ट को कोई लगी होती है तो उसके टुट्ट द्वारा ही गहन किया जाएगा। साथ ही इस प्रकार विद् या बन्-विषय से यदि टुट्ट को कोई लगी होती है तो टुट्ट को बैंक खाते में प्रका किया जाएगा तथा कर विद् करने के लिए सुधारण हेतु संशोधित प्रस्ताव आ टुट्ट को बैंक खाते से ही जारी किया जाएगा।
7. दस्तावेज़ किसी भी समय टुट्ट से बदलेगी की पूर्ण हेतु किसी भी पारसीय अथवा विदेशी न्यायालय तथा से कोषाध्यक्ष विद् या बन्, अथवा, अथवा, कसिक/असिक बन्, कोषाध्यक्ष अथवा का, जारी।
8. टुट्ट को अपना बैंक एवं अन्-बन् का विवरण तथा-असिकों में अतिम किया जाएगा। इस प्रसिद्धि 31 वर्ष तक की संसद प्रसिद्धि एवं सुधारण बैंक आग तथा बैंक में, बैंक अथवा एलका किसी बुद्धिमत् कार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अतिम करण जाएगा।
9. दस्तावेज़ द्वारा अपने समय पर टुट्ट को अपने संकलन हेतु सम्बन्धितों तथा बैंक विधिक, बाधितों, वहाक व अन्य सम्बन्धितों की आवश्यकतापूर्वक नियुक्ति की जायेगी तथा कोई बैंक को भी नहीं किया जायेगा। ऐसे सम्बन्धितों को एवं बैंक एवं आ टुट्ट को अपने बैंक में ही जारी।
10. दस्तावेज़ द्वारा अपने पर अपने बन्धु व बैंक एवं विवरण द्वारा टुट्ट को किसी सम्बन्धित का अन्-बन् को करण करने अथवा बैंक, विदेशी विदेशी, अतिमों वन् अथवा प्रसिद्धि कसिक का दस्तावेज़ वन् बैंक विधिक सम्बंधों के द्वारा टुट्ट को विद् विवरण प्रका कर जारी अथवा करण में जारी।
11. टुट्ट को लगी बन्धु अथवा अतिमों वन् बैंक एवं विवरण द्वारा टुट्ट को अपने बैंक में ही जारी।



Principal
Maa Vaishna College of Pharmacy
1/10, 11, Khatola, Surfi, Farukhabad

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु.10

Rs.10



INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTIAK PRADESH

30AC 971829

दिये जायें।

यदि किसी परिस्थिति में ट्रस्ट की वंश अथवा संस्था विघटित हो तो उसकी वंशशक्ति परिसंपत्तियों ट्रस्टीगल द्वारा लिखे गये नियमनुसार या तो समान बंटवारा करने किन्हीं अन्य ट्रस्ट, संस्थानों अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर की जायेगी अथवा ट्रस्टीगल में वंश हो जायेगा।

असाए इन नियम असाएवार्डों ट्रस्टीगल में यह शीट 2006/2018 में जारी की गयी है।
सबूद रहे तथा वंश चक्रवर्त काल अथवा वंशदायकों अथवा वंश शीट असाएवार्डों ट्रस्टीगल में जारी है।
2006/2018।

साक्षियों के हस्ताक्षर

- 1- गोविन्द सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह
श्री सुब्रह्मण्य श्रीमत् महाशयदेव शरणमोर्गीय
- 2- गणेश सिंह पुत्र गणेश सिंह शरणमोर्गीय
शरणमोर्गीय, मैन्पुरी।

श्रीकिन्डसिन्हा

हस्ताक्षर ट्रस्टीगल

- 1- श्री प्रदीप यादव
- 2- श्री गौतम यादव
- 3- श्रीमती सावित्री
- 4- श्री रामाप्रकाश

Prakash


Principal
Maa Vidya College of Pharmacy
Fazipur, Bahad, Smt. Farrukhabad